टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

वर्ष 2010–11 के लिए
वार्षिक खाते

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2010–2011

1. सामान्य

संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चो को प्रभावित करते है। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और व्यावहारिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ–साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण – I के लिए परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना गया तथा बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया, जितना कि इस अंशदान/ सहायता अनुदान में अधिग्रहित परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

i. अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गयी हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहीत/निर्मित अचल परिसंपत्तियों को जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती है।

ii. भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां, जो कंपनी की नहीं है, अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

iii. विशेष भू–अर्जन अधिकरी (एसएलएओ)/पट्टे के माध्यम से अधिग्रहित भूमि के संबंध में वे भू–भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहित किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी प्रदान की क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गये व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गयी पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

iv. उस मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

v. कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गयी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को पूरा होने की अवधि तक चालू पूंजीगत कार्यों में विशिष्ट मद के तौर पर दर्शाया जाता है और बाद में उसे अचल संपत्तियों में शामिल कर लिया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

i. पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर से भू–अवर्गीकृत में पूंजीकृत किया जाएगा।

ii. जमा निर्माण कार्य अभिकरणों से प्राप्त विवरणों के आधार पर जमा निर्माण कार्यों को हिसाब में लिया जाता है।

iii. आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

iv. ठेकों के मामले में मूल्य परिवर्तन के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

v. कारपोरेट कार्यालय के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों/सेवा केन्द्रों के व्यय को अचल संपत्ति के निर्माण में डाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आबंटित कर दिया जाता है।

कारपोरेट कार्यालय/सेवा केन्द्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि खर्चों सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (निवल) को चल रहे पूंजी कार्य में जोड़ लिया जाता है और जब तक वे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक उन्हें परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

vi. परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य के दौरान प्रासंगिक व्यय को अग्रेनीत कर नीति संख्या–5 (i) के अनुसार आबंटित किया जाता है।

6. ऋण लागत

i. विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

ii. सामान्यतः उधार ली गयी निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब–किताब उस दिन की दरों पर किया जाता है, जिस दिन सौदा किया गया।

ii. तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें उस तारीख को बन्द दर पर प्रयोग की जाती हैं। गैर मुद्रा मदों का हिसाब–किताब उस विदेशी मुद्रा दर पर किया जाता है जो सौदे की तारीख पर थी।

iii. 01.04.2004 से पहले किए गये लेन–देन से उत्पन्न ऋणों/जमा राशियों/अचल परिसंपत्तियों से संबंधित देय राशियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों में विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन–देन से उत्पन्न विनिमय दरों को एएस–11 (संशोधित 2003) 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा।

iv. अन्य विनिमय अंतर दरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें यह उत्पन्न होते हैं, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने अधिसूचित नहीं किया है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है।

विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में बढ़ोत्तरी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

ii. ₹1500/– तक की लागत वाली सामाग्रियां जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उनको राजस्व से प्रभारित जाता है।

iii. ₹1500/– से अधिक पर ₹ 5000/– तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

iv. मूल्यह्रास परिसंपत्तियों को 'उपयोग के लिए तैयार' होने की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

v. लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

vi. कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गयी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के पांच वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है तथा इसके बाद उस वर्ष से, जिसमें संबंधित परिसंपत्ति पूरी हो गई हो तथा प्रयोग के लिए उपलब्ध हो गयी हो, परिशोधित की जाती है।

vii. कोटेश्वर हाइड्रो–इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट की डाइवर्जन सुरंग के मामले में मूल्यह्रास सुरंग की अनुमानित उपयोगिता जीवन पर सीधी रेखा विधि से प्रभारित किया जाता है।

viii. कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

मशीनों के कल–पुर्जों जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति के मामले में अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल–पुर्जे

i. भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत पर लिया जाता है।

ii. अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल–पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उनके लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय को मान्यता

i. ऊर्जा बिक्री का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार रखा जाता है। उस विद्युत केन्द्र के मामले में, जहां अंतिम टैरिफ अधिसूचित नहीं की गयी है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गये लागू विनियमों में दी गयी विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी 'वार्षिक नियत प्रभारों' की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनायी गयी अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन के प्रति वसूली/वापसी तथा आयकर के प्रति वसूली का हिसाब वर्ष–दर–वर्ष आधार पर रखा जाता है।

ii. प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन राशि का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभर्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत केंद्रों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/ लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन राशियों का हिसाब अंनंतिम आधार पर रखा जाता है।

iii. ऊर्जा बिक्री के लिए विविध लेनदारों से वसूल किए जाने वाले अधिभार को वसूली किए जाने की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसकी पावती/पावती आधार के सुनिश्चित होने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

iv. ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गये अग्रिमों पर मिले ब्याज को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में क्रेडिट कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

v. कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय रखा जाता है।

vi. बीमाकर्ता द्वारा सुनिश्चित वसूली के लिए बीमा दावों की प्राप्ति/स्वीकृति का हिसाब वर्ष में रखा जाता है।

vii. परामर्शी कार्य से प्राप्त आय का हिसाब निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन आधार पर या संबंधित परामर्शी अनुबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत के आधार पर किया जाता है।

व्यय

viii. मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गयी सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते में डाली जाती है।

ix. प्रत्येक मामले में ₹10000/– या उससे कम की मदों के पहले दिए गये खर्च या पूर्वाधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

x. वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई शुद्ध आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत सीधे समायोजित किया जाता है।

xi. संभाव्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए उद्ग्रहित खर्चे राजस्व से प्रभारित किए जाते हैं।

xii. पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विर्निदिष्ट प्रतिशत अलग रख दिया जाता है ताकि निगम की सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए अनावर्ती व्यय के लिए ऐसी निधि सृजित की जा सके जो व्यपगत न की जा सके। खर्च न की गई राशि आगे बढ़ा दी जाती है।

11. कर्मचारियों के लाभ

i. कर्मचारियों को सेवानिवृति लाभों एवं अवकाश नगदीकरण तथा सेवानिवृति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार खर्च के लिए देनदारी का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस फण्ड में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12. विविध व्यय

31.03.2004 तक आस्थगित राजस्व व्यय को व्यय किए गए वर्ष से 10 वर्षों की अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया गया है। हालांकि, बाद में उसे व्यय वाले वर्ष में पूरी तरह प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय में अंतर से मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन–पत्र की तारीख तक पारित किये गये कानूनों के आधार पर होता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता के साथ मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते उस हद तक करों के रूप में होने वाले खर्चों में जोड़े/घटाएं जाते हैं जिस हद तक उन्हें भविष्य में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगद प्रवाह विवरण लेखाकरण मानक (एएस)–3 के नगदी प्रवाह विवरण से संबंधित निर्धारित परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

तुलन–पत्र 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
निधियों के स्रोत					
शेयर धारक निधियां	1				
क) शेयर पूंजी		3,29,75,817		3,29,75,817	
ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर पूंजी अंशदान		0	3,29,75,817	0	3,29,75,817
आरक्षित एवं अधिशेष	2		2,47,53,030		2,15,29,823
आस्थगित राजस्व–मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के कारण	3		28,33,089		28,33,089
ऋण निधियां	4				
प्रतिभूति ऋण		4,60,19,444		4,52,60,173	
अप्रतिभूति ऋण		28,86,468	4,89,05,912	8,17,326	4,60,77,499
योग			**10,94,67,848**		**10,34,16,228**
निधियों का प्रयोग					
अचल पूंजी व्यय					
अचल परिसंपत्तियां	5				
सकल ब्लॉक		10,42,83,349		8,52,27,799	
घटाएं : मूल्यह्रास		1,32,85,661		97,70,864	
निवल ब्लॉक			9,09,97,688		7,54,56,935
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6		83,47,135		2,05,33,633
निर्माण भण्डार तथा पूंजीगत अग्रिम	7		26,82,613		25,38,094
निवेश			0		0
आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)		19,60,546		13,81,563	
घटाएं :– वापसी योग्य		6,31,296	13,29,250	6,31,296	7,50,267
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम					
वस्तु सूचियां	8	1,76,814		1,70,206	
फुटकर लेनदार	9	1,11,49,513		75,76,681	
नगद एवं बैंक अधिशेष	10	5,24,392		2,30,870	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	15,424		16,188	
ऋण तथा अग्रिम	12	13,01,896		12,99,989	
(क)		**1,31,68,039**		**92,93,934**	

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
घटाएं : चालू देनदारियां तथा प्रावधान					
चालू देनदारियां	13	35,43,295		14,80,365	
प्रावधान	14	35,15,866		36,79,870	
(ख)		**70,59,161**		**51,60,235**	
निवल चालू परिसंपत्तियां (क)–(ख)			61,08,878		41,33,699
विविध व्यय	15		2,284		3,600
(जिस सीमा तक बट्टे खाते नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)					
लेखों पर टिप्पणियां	27				
योग			**10,94,67,848**		**10,34,16,228**

अनुसूचियां 1 से 27 तथा महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण लेखों के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)	(सी. पी. सिंह)	(आर. एस. टी. शाई)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या–84072

दिनांक : 31 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए लाभ हानि लेखा

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
आय					
विद्युत बिक्री	16		1,67,00,417		1,41,67,032
अन्य आय	17		61,019		72,034
परामर्श–कार्य से आय	18		1,31,276		
कुल आय–क			**1,68,92,712**		**1,42,39,066**
व्यय					
कर्मचारियों का पारश्रमिक एवं लाभ	19		15,05,262		7,75,349
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य खर्च	20		10,55,247		8,80,358
ब्याज तथा वित्त पोषण प्रभार	21		39,13,302		41,83,911
मूल्यह्रास	5		34,95,155		34,58,339
प्रावधान	22		7,905		22,107
परामर्श–कार्य पर व्यय	25		1,43,922		
कुल व्यय–ख			**1,01,20,793**		**93,20,064**
कर से पूर्व लाभ तथा पूर्वावधि समायोजन (क–ख)			**67,71,919**		**49,19,002**
घटाएं :					
पूर्वावधि आय/व्यय–(शुद्ध)	23		(20,085)		12,393
कराधान से पूर्व शुद्ध लाभ			**67,92,004**		**49,06,609**
कराधान के लिए प्रावधान	**24**				
आयकर		13,63,120		8,55,572	
सम्पत्ति कर		3,080	13,66,200	1,792	8,57,364
आस्थगित कर		(5,78,983)		(7,50,267)	
घटाएं : वसूलनीय परिसंपत्ति		0	(5,78,983)	0	(7,50,267)
चालू वर्ष के कर के बाद लाभ			**60,04,787**		**47,99,512**
लाभ तथा हानि लेखा में आधिक्य को आगे ले जाया गया			84,78,464		53,75,380
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष			**1,44,83,251**		**1,01,74,892**
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		12,50,000		6,00,000	
प्रस्तावित लाभांश		5,60,000	18,10,00	8,50,000	14,50,000
लाभांश पर कर					
लाभांश वितरण कर–अंतरिम		2,07,609		1,01,970	
लाभांश वितरण कर–प्रस्तावित		93,009	3,00,618	1,44,458	2,46,428
तुलन–पत्र में अग्रेनीत शेष			**1,23,72,633**		**84,78,464**

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
निर्माण के दौरान व्यय	**26**				
प्रति शेयर अर्जन (1000 रू. का प्रत्येक इक्विटी शेयर)					
मूल (रू.)			182.10		145.55
कम किया हुआ (रू.)			182.10		145.55

1 से 27 तक की अनुसूचियों तथा महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या–84072

दिनांक : 31 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

अनुसूचियां – लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 1

शेयर पूंजी

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
प्राधिकृत पूंजी					
₹ 1000/– प्रत्येक के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर			4,00,00,000		4,00,00,000
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी			3,29,75,817		3,29,75,817
₹ 1000/– प्रत्येक के 32975817 पूर्णतः संदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 32975817)					
उपरोक्त शेयरों में से 7078600 शेयर (पिछले वर्ष 7078600) नगद से भिन्न विचार के लिए पूर्णतः प्रदत्त के रूप में आबंटित है।					
योग			**3,29,75,817**		**3,29,75,817**

अनुसूची : 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
आरक्षित पूंजी					
उ.प्र. सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति देय अंशदान		**1,44,13,380**		**1,44,13,380**	
घटाएं : बकाया अंशदान		1,542		1,542	
प्राप्त अंशदान		**1,44,11,838**		**1,44,11,838**	
घटाएं : मूल्यह्रास में समायोजन		20,78,634	1,23,33,204	14,03,603	1,30,08,235
अन्य आरक्षित पूंजी					
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजनाओं के लिए)			47,193		43,124
लाभ एवं हानि लेखा में आधिक्य शेष			1,23,72,633		84,78,464
योग			**2,47,53,030**		**2,15,29,823**

अनुसूची : 3

मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार वर्ष के		28,33,089		24,41,592	
दौरान आस्थगित राजस्व		0		3,91,497	
घटाएं: वर्ष के दौरान मान्य राजस्व		0	28,33,089	0	28,33,089
योग			**28,33,089**		**28,33,089**

अनुसूची : 4

ऋण निधियां

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
प्रतिभूति ऋण*					
दीर्घावधि ऋण					
वित्तीय संस्थाओं से ऋण			4,49,77,777		4,37,22,586
बैंकों में जमा नकद राशि			0		15,37,587
अल्पकालिक ऋण					
बैंकों से ऋण			10,41,667		0
उप जोड़			**4,60,19,444**		**4,52,60,173**
अप्रतिभूति ऋण					
बैंकों से अल्पकालिक ऋण			22,50,000		0
विदेशी मुद्रा ऋण					
(भारत सरकार द्वारा गारंटी शुदा)					
वित्तीय संस्था–केएफडब्ल्यू जर्मनी से सावधि ऋण @			6,36,468		8,17,326
उप जोड़			**28,86,468**		**8,17,326**
कुल योग			**4,89,05,912**		**4,60,77,499**
अगले एक वर्ष के भीतर भुगतान के लिए देय ऋण			71,73,632		38,77,640

***प्रतिभूति ऋण में निम्नलिखित शामिल हैं :–**

i) टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस, सिविल निर्माण, पावर हाउस विद्युतीय एवं अभियांत्रिकीय उपकरणों पर परस्पर आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित ₹ 2860.65 करोड़ दीर्घावधि ऋण एवं ₹ 104.16 करोड़ के लघु अवधि ऋण जो अन्य उधारियों में शामिल नहीं होते हैं तथा टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप में ऋण के सभी अधिकार ताकि उन पर लगे ब्याज शामिल नहीं होते हैं।

ii) कोटेश्वर परियोजना के लिए ₹1637.13 करोड़ कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार से सुरक्षित हैं

***अप्रतिभूति ऋण :–**

i) $ रूक्का (प्रामिजरी नोट) जारी कर ₹ 225 करोड़ का ऋण लिया गया।

ii) @ समरूप संबंधित ऋण श्रेणी के अंतर्गत वित्त पोषित उपकरणों पर ऋणात्मक ग्रहणाधिकार के साथ।

अनुसूची : 5

अचल परिसंपत्तियां

राशि ₹ हजार में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2010 की स्थिति	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के बीच संवर्धन	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के बीच बिक्री /समायोजन	31 मार्च 2011 की स्थिति	1 अप्रैल 2010 की स्थिति	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के बीच की अवधि के लिए	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के बीच समायोजन	31 मार्च 2011 की स्थिति	31 मार्च 2011 की स्थिति	31 मार्च 2010 की स्थिति
1. फ्री होल्ड भूमि	1,88,665	27,804	(294)	2,16,175	–	–	–	–	2,16,175	1,88,665
2. लीज होल्ड भूमि	26,319	–	(1,866)	24,453	2,789	878	(1,866)	1,801	22,652	23,530
3. अवर्गीकृत भूमि	1,31,32,272	7,27,746	–	1,38,60,018	12,78,846	4,45,191	–	17,24,037	1,21,35,981	1,18,53,426
4. भवन	11,13,840	53,14,426	(47,153)	63,81,113	1,32,400	47,829	(40,258)	1,39,971	62,41,142	9,81,440
5. भवन अस्थायी ढांचे	40,389	19,757	(8,676)	51,470	40,389	19,672	(8,676)	51,385	85	–
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	3,87,246	1,64,794	(24,008)	5,28,032	36,081	18,494	(23,882)	30,693	4,97,339	3,51,165
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,37,464	9,575	(22,400)	1,24,639	30,515	6,450	(21,146)	15,819	1,08,820	1,06,949
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	1,66,692	10,186	(31,964)	1,44,914	1,24,917	4,346	(31,955)	97,308	47,606	41,775
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	1,58,12,925	35,58,074	(63,655)	1,93,07,344	18,18,025	8,35,609	3,298	26,56,932	1,66,50,412	1,39,94,900
10. ई.डी.पी. मशीनें	83,620	43,762	(9,847)	1,17,535	50,578	12,482	(8,645)	54,415	63,120	33,042
11. विद्युत संस्थापनाएं	74,871	6,258	(15,185)	65,944	16,176	4,185	(15,008)	5,353	60,591	58,695
12. पारेषण लाइनें	1,35,398	20,346	(12,616)	1,43,128	27,398	7,959	(10,790)	24,567	1,18,561	1,08,000
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	2,51,007	90,076	(15,161)	3,25,922	72,927	19,018	(12,342)	79,603	2,46,319	1,78,080
14. फर्नीचर तथ फिक्सचर	93,739	50,579	(8,062)	1,36,236	30,569	7,801	(7,740)	30,630	1,05,606	63,170
15. वाहन	88,345	1,575	(19,955)	69,965	54,157	4,215	(19,805)	38,567	31,398	34,188
16. रेलवे साइडिंग	12,189	–	–	12,189	801	408	–	1,209	10,980	11,388
17. अमूर्त आस्तियां–साफ्टवेयर	20,133	6,850	(290)	26,693	10,567	3,510	(289)	13,788	12,905	9,566
18. हाइड्रोलिक कार्य–बांध एवं स्पिलवे	4,00,74,878	93,48,073	(78,633)	4,93,44,318	39,03,119	21,11,981	(5,923)	60,09,177	4,33,35,141	3,61,71,759
19. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, कैनाल्स इत्यादि	1,31,34,396	5,64,017	(5,74,439)	1,31,23,974	19,80,058	6,97,104	(5,73,734)	21,03,428	1,10,20,546	1,11,54,338
20. निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो, में अप्रयोज्यनीय/अप्रचलित आस्तियां	16,462	90	1,200	17,752	–	–	–	–	17,752	16,462
21. आस्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं हैं।	2,36,949	24,586	–	2,61,535	1,60,552	46,426	–	2,06,978	54,557	76,397
योग	**8,52,27,799**	**1,99,88,574**	**(9,33,024)**	**10,42,83,349**	**97,70,864**	**42,93,556**	**(7,76,761)**	**1,32,85,661**	**9,09,97,688**	**7,54,56,935**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**8,44,58,659**	**10,99,656**	**(3,30,516)**	**8,52,27,799**	**54,97,339**	**42,94,555**	**(21,030)**	**97,70,864**	**7,54,56,935**	**7,89,61,320**

मूल्य ह्रास का ब्यौरा	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास	1,22,359	1,28,449
लाभ हानि लेखा को हस्तांरित मूल्यह्रास	34,95,155	34,58,339
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान–आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन	6,75,031	7,07,767
परामर्शी सेवाओं को हस्तांतरित मूल्यह्रास	1,013	
	42,93,558	**42,94,555**
वर्ष के दौरान ₹1500.00 से अधिक परंतु ₹ 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया	3,447	3,296

अनुसूची : 6

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
निर्माण कार्य प्रगति पर					
– भवन एवं अन्य सिविल कार्य		3,53,188		3,84,514	
– सड़क, पुल तथा पुलिया		3,89,447		2,75,072	
– जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		8,001		9,112	
– उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		32,87,035		49,44,564	
– जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		35,96,729		1,37,55,078	
– जलागम क्षेत्र वनीकरण		750		80,025	
– विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		27,869		30,898	
– अमूर्त आस्तियां–साफ्टवेयर		0		0	
– परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं हैं।		0		23,853	
अन्य		27,117	76,90,136	8,381	1,95,11,497
उत्पादन संयंत्र एवं मार्गस्थ मशीनी			51,102		70,916
व्यय लम्बित आबंटन					
– सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		4,53,860		5,18,664	
– निर्माण के दौरान व्यय	26	54,637	5,07,897	17,691	5,36,355
पुनर्वास					
– पुनर्वास खर्चे (सांकेतिक लागत तथा किराए की निवल वसूलियां)			98,000		4,14,865
योग			**83,47,135**		**2,05,33,633**

अनुसूची : 7

निर्माण भण्डार एवं पूंजीगत अग्रिम

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
निर्माण भण्डार (प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित लागत पर)					
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री		3,013		6,725	
अन्य		29,698		39,008	
मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0		211	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		132		2,431	
		32,843		48,375	
घटाएं : स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान		0	32,843	25,246	23,129
पूंजीगत अग्रिम					
पूंजीगत व्यय के लिए					
अप्रतिभूति					
(i) बैंक गारंटी के बाबत		1,00,309		1,46,339	
(ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (उत्तराखण्ड सरकार एसएलएओ)		1,88,609		4,12,189	
(iii) अन्य		19,02,976		16,61,827	
(iv) अग्रिमों पर उपर्जित ब्याज		4,57,876		2,94,610	
		26,49,770		25,14,965	
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		0		0	
			26,49,770		25,14,965
योग			**26,82,613**		**25,38,094**
पूंजीगत अग्रिम					
शोध्य समझे गए (अप्रतिभूति)			26,49,770		25,14,965
संदिग्ध समझे गए तथा प्रावधन किए गए			0		0
कुल पूंजीगत अग्रिम			**26,49,770**		**25,14,965**

अनुसूची : 8

वस्तु सूची

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
(प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित लागत पर)					
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री		29,456		21,932	
अन्य		1,93,850		1,59,205	
मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0		367	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0		4,157	
		2,23,306		1,85,661	
घटाएं : वस्तु सूची के लिए प्रावधान		46,492	1,76,814	15,455	1,70,206
योग			**1,76,814**		**1,70,206**

अनुसूची : 9

विविध देनदार

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
छः माह से अधिक समय से बकाया ऋण					
असुरक्षित, शोध्य समझे गए		66,11,917		22,84,807	
संदिग्ध समझे गए		2,081	66,13,998	6,595	22,91,402
अन्य ऋण					
असुरक्षित, शोध्य समझे गए		45,37,596		52,91,874	
संदिग्ध समझे गए		0	45,37,596	0	52,91,874
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			2,081		6,595
कुल			**1,11,49,513**		**75,76,681**

अनुसूची : 10

नगदी एवं बैंक शेष

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
नगदी एवं बैंक शेष					
विद्यमान नगद, चैक, डिमांड ड्राफ्ट तथा टिकटें			430		571
अनुसूचित बैंकों के पास शेष		5,23,962		2,30,299	
चालू खाता (अनुसूचित बैंकों में आटो–स्वीप, फ्लैक्सी किस्म की जमाराशियों सहित)			5,23,962		2,30,299
योग			**5,24,392**		**2,30,870**

अनुसूची : 11

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
अन्य चालू परिसंपत्तियां					
उपार्जित ब्याज			195		60
पूर्व भुगतान खर्चे			15,229		16,128
योग			**15,424**		**16,188**

अनुसूची : 12

ऋण तथा अग्रिम

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
ऋण					
कर्मचारियों के लिए					
प्रतिभूति		2,49,090		2,57,077	
अप्रतिभूति		10,597	2,59,687	27,068	2,84,145
कर्मचारियों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूति		1,73,200		1,50,161	
अप्रतिभूति		10,865	1,84,065	18,788	1,68,949
अन्य			2,423		0
			4,46,175		4,53,094
अग्रिम (नगद या वस्तुओं के रूप में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए					
अप्रतिभूति		27,448		15,911	
क्रय के लिए		30,349		16,009	
अन्य के लिए		6,89,664	7,47,461	7,41,421	7,73,341
जमाराशियां					
प्रतिभूति जमा		22,288		19,798	
जमा किया गया कर		35,138		4,950	
सरकार/न्यायालय में जमा राशियां		51,234		50,177	
अन्य जमाराशियां		487	1,09,147	114	75,039
उप जोड़			**13,02,783**		**13,01,474**
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			887		1,485
योग			**13,01,896**		**12,99,989**
टिप्पणी : निदेशकों से देय (वर्ष के दौरान अधिकतम देय राशि रू. 663458.00 (पिछले वर्ष 64932.00 रू.)}					
मूलधन			169		0
ब्याज			401		0
योग			**570**		**0**
टिप्पणी : अधिकारियों से देय (वर्ष के दौरान अधिकतम देय राशि रू. 859172.00 (पिछले वर्ष 915908.00रू.)}					
मूलधन			250		324
ब्याज			535		516
योग			**785**		**840**
ऋणों तथा अग्रिमों के विवरण					
शोध्य समझे गए					
ऋण तथा अग्रिम (प्रतिभूति)		4,22,290		4,07,238	
ऋण तथा अग्रिम (अप्रतिभूति)		8,79,606	13,01,896	8,92,751	12,99,989
संदिग्ध समझे गए तथा जिनके लिए प्रावधान किया गया			887		1,485
योग			**13,02,783**		**13,01,474**

अनुसूची : 13

चालू देनदारियां

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
विविध लेनदार					
पूंजीगत व्यय के लिए		9,80,826		4,14,714	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		14,58,388	24,39,214	1,16,941	5,31,655
जमाराशियां, ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि इत्यादि			2,66,464		1,39,852
उपार्जित ब्याज, लेकिन जो देय नहीं हैं					
वित्तीय संस्थाएं		7,22,701	7,22,701	7,30,961	7,30,961
अन्य देनदारियां			1,14,916		77,897
योग			**35,43,295**		**14,80,365**

अनुसूची : 14

प्रावधान

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
I निर्माण					
प्रारंभिक शेष		3,70,291		3,99,032	
वर्ष के दौरान वृद्धि		2,04,807		3,26,484	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		(3,70,160)	2,04,938	(3,55,225)	3,70,291
II कर्मचारियों से संबंधित					
प्रारंभिक शेष		19,93,684		16,68,374	
वर्ष के दौरान वृद्धि		5,13,680		4,35,811	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		(2,31,990)	22,75,374	(1,10,501)	19,93,684
III प्रस्तावित लाभांश					
प्रारंभिक शेष		8,50,000		2,80,000	
वर्ष के दौरान वृद्धि		5,60,000		8,50,000	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		(8,50,000)	5,60,000	(2,80,000)	8,50,000
IV अंतरिम लाभांश पर कर					
प्रारंभिक शेष		0		0	
वर्ष के दौरान वृद्धि		2,07,609		1,01,970	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		0	2,07,609	(1,01,970)	0
V प्रस्तावित लाभांश पर कर					
प्रारंभिक शेष		1,44,458		47,586	
वर्ष के दौरान वृद्धि		93,009		1,44,458	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		(1,44,458)	93,009	(47,586)	1,44,458
VI अन्य					
प्रारंभिक शेष		3,21,437		41,746	
वर्ष के दौरान वृद्धि		14,48,862		3,68,919	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		(15,95,363)	1,74,936	(89,228)	3,21,437
योग			**35,15,866**		**36,79,870**

अनुसूची : 15

विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में न डाला गया हो या समायोजित न किया गया हो)

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 की स्थिति		31 मार्च, 2010 की स्थिति	
आस्थगित राजस्व व्यय		2,195		3,415	
कमी लंबित छानबीन		89	2,284	815	3,600
योग			**2,284**		**3,600**

अनुसूची : 16

विद्युत बिक्री

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
विद्युत बिक्री		1,65,50,886		1,43,29,193	
घटाएं :–					
मूल्यह्रास के लिए अग्रिम–आस्थगित		0	1,65,50,886	3,91,497	1,39,37,696
लाभार्थियों से एफईआरवी वसूली			14,484		47,550
यू.आई./संकुचन प्रभार			1,35,047		1,81,786
योग			**1,67,00,417**		**1,41,67,032**

अनुसूची : 17

अन्य आय

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस 48420.00रू. शामिल है, (पिछले वर्ष 90495.00रू.)		5,722		5,660	
कर्मचारियों से		22,336		23,229	
अन्य से		916	28,974	3,028	31,917
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			9,820		373
किराया प्राप्तियां			5,561		2,946
फुटकर प्राप्तियां			21,117		16,729
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			1,879		321
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ			23,322		36,278
विलम्ब भुगतान अधिभार			2,347		6,247
योग			**93,020**		**94,811**
घटाएं :					
ईडीसी अनुसूची को अंतरित	26		31,350		22,777
परामर्शी सेवाओं को अंतरित	18		651		
योग			**61,019**		**72,034**

अनुसूची : 18

परामर्शी कार्यों से आय

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
परामर्शी कार्य से आय			1,30,625		0
अन्य आय	17		651		
योग			**1,31,276**		**0**

अनुसूची : 19

कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			25,23,689		13,87,012
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			5,19,251		1,68,500
उपदान			77,810		1,50,978
कल्याण			36,883		27,651
योग			**31,57,633**		**17,34,141**
घटाएं :					
ईडीसी अनुसूची को अंतरित	26		16,05,262		9,58,792
परामर्शी सेवाओं को अंतरित	25		47,109		
योग			**15,05,262**		**7,75,349**

अनुसूची : 20

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
किराया, दर एवं कर					
कार्यालय किराया		18,654		14,849	
कर्मचारी आवास किराया		59,806		26,537	
दर एवं कर		36,860	1,15,320	13,670	55,056
विद्युत एवं ईंधन			1,30,307		97,457
बीमा			37,559		39,039
संचार			23,910		16,701
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		2,08,104		83,672	
भवन		84,322		85,941	
अन्य		3,30,847	6,23,273	1,35,030	3,04,643
यात्रा एवं वाहन			88,814		92,959
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,04,223		79,074
सुरक्षा			1,37,510		1,23,718

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
प्रचार तथा जनसंपर्क			30,533		30,913
अन्य सामान्य व्यय			2,22,050		1,69,623
परिसंपत्तियों पर हानि			2,715		1,27,245
संर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			59,576		30,636
परामर्शी परियोजना/अनुबंधों पर व्यय			80,246		0
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			1,220		1,219
निगम की सामाजिक गतिविधियों पर व्यय			98,132		1,26,030
योग			**17,55,388**		**12,94,313**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26		6,04,341		4,13,955
परामर्शी सेवाओं को अंतरित	25		95,800		
योग			**10,55,247**		**8,80,358**

अनुसूची : 21

ब्याज एवं वित्त–पोषण प्रभार

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
ऋणों पर ब्याज			53,28,582		50,70,875
ग्राहकों को छूट			1,33,638		1,14,701
योग			**54,62,220**		**51,85,576**
घटाएं :					
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत			15,48,918		10,01,665
योग			**39,13,302**		**41,83,911**

अनुसूची : 22

प्रावधान

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
अशोध्य ऋणों, ब्याजों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			2,114		6,652
भण्डारों तथा कल–पूर्जों के लिए प्रावधान			5,791		15,455
योग			**7,905**		**22,107**
घटाएं :					
ईडीसी अनुसूची को अंतरित	26		0		0
परामर्शी सेवाओं को अंतरित	25		0		
योग			**7,905**		**22,107**

अनुसूची : 23

पूर्वावधि आय/व्यय–(शुद्ध)

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
आय					
अन्य		1,15,258		2,945	
विविध प्राप्ति		0	1,15,258	0	2945
व्यय					
कार्मिक व्यय		(6,417)		1,282	
विद्युत एवं ईंधन		0		886	
मरम्मत एवं अनुरक्षण		9,621		0	
अन्य सामान्य व्यय		70,254		414	
मूल्यह्रास		(2,655)		617	
सुरक्षा		0		17,667	
किराया दर और कर		25,030		55	
विविध – अन्य		0	95,833	917	21,838
योग			**(19,425)**		**18,893**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26		660		6,500
योग			**(20,085)**		**12,393**

अनुसूची : 24

कराधान के लिए प्रावधान

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
आयकर					
चालू वर्ष			13,63,120		8,55,572
योग			**13,63,120**		**8,55,572**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26		0		0
योग			**13,63,120**		**8,55,572**
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			5,036		3,879
योग			**5,038**		**3,879**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26		1,958		2,087
योग			**3,080**		**1,792**

अनुसूची : 25

परामर्शी सेवाएं

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं लाभ	19		47,109		
प्रशासन एवं अन्य खर्चे	20		95,800		
ब्याज ओर वित्तीय प्रभार	21		0		
मूल्यह्रास	5		1,013		
प्रावधान	22		0		
योग			**1,43,922**		

अनुसूची : 26

निर्माण के दौरान व्यय

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
व्यय					
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	**19**				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		12,76028		7,80,618	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		2,67,389		86,495	
उपदान		44,391		76,897	
कल्याण		17,454	16,05,262	14,782	9,58,792
प्रशासन तथा अन्य व्यय	**20**				
किराया, दर एवं कर					
कार्यालय किराया		15,195		13,396	
कर्मचारी आवास किराया		37,935		19,489	
दर एवं कर		1,798	54,928	1,290	34,175
विद्युत एवं ईंधन			51,885		30,819
बीमा			1,160		1,169
संचार			15,095		9,796
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,059		396	
भवन		30,101		20,271	
अन्य		1,68,224	1,99,384	46,680	67,347
यात्रा एवं वाहन			51,860		63,048
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			56,430		43,771
सुरक्षा			42,714		37,787
प्रचार तथा जनसंपर्क			13,029		15,508
अन्य सामान्य व्यय			1,07,867		1,04,659
परिसंपत्तियों पर हानि			407		81

राशि हजार ₹ में

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय			9,364		144
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			218		258
निगम की सामाजिक गतिविधियों पर व्यय			0		5,393
मूल्यह्रास	5		1,22,359		1,28,449
कुल व्यय (क)			**23,31,962**		**15,01,196**
प्राप्तियां					
अन्य आय	**17**				
ब्याज		2,577		3,432	
कर्मचारियों से		10,422		11,626	
अन्य		108	13,107	1,800	16,858
मशीन किराया प्रभार			8,628		215
किराया प्राप्तियां			3,756		1,994
फुटकर प्राप्तियां			3,845		3,270
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			823		73
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			1,191		367
कुल प्राप्तियां (ख)			**31,350**		**22,777**
पूर्वावधि समायोजन	**23**		**660**		**6,500**
कराधान से पूर्व शुद्ध व्यय			**23,01,272**		**14,84,919**
कराधान के लिए प्रावधान	**24**				
आय कर		0		0	
सम्पत्ति कर		1,958	1,958	2,087	2,087
कराधान सहित शुद्ध व्यय			**23,03,230**		**14,87,006**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			17,691		17,789
कुल ईडीसी			**23,20,921**		**15,04,795**
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी को आबंटित ईडीसी / परिसम्पत्ति			22,24,002		14,67,389
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित			42,282		19,715
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**54,637**		**17,691**

अनुसूची – 27

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बचे ठेकों की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों का निवल) ₹ 15854.17 लाख (गत वर्ष ₹ 21969.79 लाख) है।

2. आकस्मिक देयताएं

(लाख ₹ में)

		2010–11	2009–10
(i)	कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है : माध्यस्थम/अदालती मामले [(इसमें विभिन्न माध्यस्थम/श्रम अदालती मामलों में कंपनी के विरूद्ध डिक्री की गयी ₹ 233.04 लाख (विगत वर्ष ₹ 219.22 लाख) की राशि शामिल है, जिनमें कंपनी ने पैसे जमा किए लेकिन जो विवादित हैं और अपीलों के अंतर्गत हैं।)]	151706.23	124046.16
(ii)	विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए ₹ 250.42 लाख (गत वर्ष ₹ 254.96 लाख) शामिल हैं। कंपनी ने इनके बारे में अपील की हुई है।	777.36	746.46
(iii)	अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि) कर्मचारियों/विस्थापितों तथा अन्यों के द्वारा दायर किए गए दावों/अदालती मामलों के संबंध में देनदारी की राशि, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती।	6603.78	12977.95

3. कंपनी ने ₹899.17 लाख (गत वर्ष ₹739.28 लाख) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/ प्रतिभूति जमा के रूप में भी स्वीकार की है। इसके अलावा अनुसूची –13 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से ₹2664.64 लाख (गत वर्ष ₹1398.52 लाख) "जमा, प्रतिधारण राशि" के रूप में रखा है।

4. कंपनी के पास विद्युत के विभिन्न लाभार्थियों से ₹2069.50 लाख (गत वर्ष ₹1907.38 लाख) की राशि भुगतान के लिए बैंक प्रतिभूति के तौर पर पक्के साख पत्र (एलसी) हैं।

5. नए टिहरी शहर में सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों को अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने के लिए ₹7800.00 लाख की रकम खर्च की गयी थी। यह राशि उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से वसूल की जानी है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, उत्तराखंड सरकार की ओर से 2005–06 में पंजाब नेशनल बैंक से ₹7800.00 लाख के सावधि ऋण लिए गये। यह राशि ब्याज सहित टिहरी एईपी चरण – I से दी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत के उनके हिस्से से वसूल की जानी है।

27.03.2009 को विद्युत मंत्रालय के सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में हुई बैठक में आपस में यह तय कर लिया गया कि टीएचडीसी द्वारा आवासीय/ गैर–आवासीय भवनों के रूप में उपलब्ध कराई गयी अतिरिक्त जगह के लिए उत्तराखंड सरकार ₹7800.00 लाख की प्रतिपूर्ति कर देगी जिसमें बांध के निर्माण में प्रयुक्त क्ले/शेल सामग्री पर की राशि टीएचडीसी द्वारा देय राशि में समायोजित कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त इस बात पर सहमति बनी कि पारस्परिक समझौता होने के कारण उत्तराखंड सरकार या टीएचडीसी एक दूसरे को देय राशि पर कोई ब्याज नहीं वसूलेंगे। तदनुसार उत्तराखंड सरकार से वसूली योग्य ₹1857.42 लाख का ब्याज समायोजित कर लिया गया है। आगे यह भी फैसला किया गया कि रॉयल्टी प्रभार की राशि टीएचडीसी द्वारा दी गयी वास्तविक मात्राओं के आधार पर निकाली जाएगी। रॉयल्टी की रकम का हिसाब कर लिया गया है और यह ₹3820.00 लाख बैठती है। डीएम के पास जमा ₹1900.00 लाख घटाने के बाद बाकी राशि ₹1920.00 लाख बनती है जिसे ₹7800.00 लाख में से समायोजित कर लिया गया है और बाकी ₹5880.00 लाख की राशि को अनुसूची–12 में उत्तराखंड सरकार से वसूली योग्य दर्शाया गया है। संयुक्त सचिव (हाइड्रो) की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2010 को आयोजित बैठक में इस मामले पर आगे विचार किया गया जहां उत्तराखंड की सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि धनराशि शीघ्र जारी करने के लिए राज्य के वित्त विभाग से उठाया जाएगा।

कंपनी ने नैनीताल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके रॉयल्टी और ब्याज के रूप में वसूली जाने वाली ₹6448.58 लाख की वसूली पर स्थगन लगाने का अनुरोध किया है। लेकिन 27 मार्च, 2009 के ऊपर बताई गयी संयुक्त बैठक के बाद नैनीताल उच्च न्यायालय से याचिका वापस लेने के बारे में टिहरी के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) से संपर्क किया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपने 25.5.2009, 21.07.2009 और 04.03.2010 के पत्रों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के मख्य सचिव से 27.3.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड की सरकार ने कार्यवृत्त के अनुसार कंपनी द्वारा दायर किए गए शपथ–पत्र पर आपत्ति नहीं

की है। इस मामले में माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय का निर्णय अभी प्रतीक्षित है। हालांकि लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन शामिल कर दिए गए हैं।

6. (i) वर्ष के लिए उधार ली गयी कुल निधियों पर ब्याज 51675.35 लाख रुपये (गत वर्ष ₹50114.46 लाख) बैठता है। उधार लागत की राशि के रूप में वर्ष के दौरान ₹15489.18 लाख (गत वर्ष ₹10016.65 लाख) पूंजीकृत की गयी थी। इससे पहले वर्ष के दौरान अधिशेष उधार की निधियों पर अल्पावधि जमा पर मिले ब्याज की ₹25.01 लाख (गत वर्ष ₹9.06 लाख) को समायोजित कर दिया गया था।

(ii) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव राशि ₹213.36 लाख (गत वर्ष ₹963.89 लाख) को प्रगति पर पूंजीगत कार्यों / परिसंपत्तियों में समायोजित किया गया है।

7. (i) कोटेश्वर परियोजना में डायवर्जन सुरंग को 28 दिसम्बर, 2003 को पूंजीकृत किया गया था। पिछले वर्षों के दौरान डायवर्जन सुरंग के परिशोधन को सुरंग के अपेक्षित उपयोगी जीवन के ऊपर सीधी रेखा विधि से प्रभारित किया गया है। इसका उपयोग परियोजना की पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन के बाद बन्द हो जाएगा। चूंकि कोटेश्वर परियोजना की पहली यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन 31 मार्च, 2011 को 24.00 बजे से शुरू हो गया है इसलिए 2010–11 के दौरान शेष अपरिशोधित राशि मूल्यह्रास में प्रभारित किया गया है।

(ii) कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की यूनिट – I और यूनिट – II मार्च, 2011 में साथ–साथ पूरी की गई हैं और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की यूनिट–I 31.03.2011 को 24.00 बजे या 1.4.2011 को 0.00 बजे शुरू हो गया है, इसलिए कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की यूनिट – I अस्थिर ऊर्जा को समायोजित कर 31 मार्च, 2011 को पूंजी में परिणत की गई है। कोटेश्वर परियोजना में प्रयुक्त स्थिर परिसंपत्तियों का सकल ब्लाक 31.3.2011 को इन परिसंपत्तियों के डब्लूडीवी के बराबर घटा दिया गया है।

8. (i) प्रबंधन ने कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों और कामगारों का वेतनमान 01.01.2007 से पुनरीक्षित कर दिया है और 26.11.2008 से कैफेटेरिया आधारित अनुलाभ की शुरूआत की है। साथ ही प्रबंधन ने वर्ष 2009–10 और 2010–11 के लिए निष्पादन से जुड़ा वेतन (पी आर पी) शुरू किया है। तद्नुसार पूर्व प्रावधान को समायोजित कर बही में देयता / प्रावधान दर्ज किया गया है।

(ii) कारपोरेट वार्षिक परिपत्र संख्या 05 / 2011 के अनुसार 01.01.2007 से अधिवर्षिता लाभ के लिए नियोक्ता का अंशदान कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 30% होगा। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ग्रैच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधाओं में पेंशन और अंशदायी स्कीम शामिल होंगी। पेंशन स्कीम को अंतिम रूप देने में देरी होने के कारण मूल वेतन और महंगाई भत्ते का लगभग 10% पेंशन निधि में करने का प्रावधान बहियों में किया गया है।

9. कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी होने के कारण 114.218 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत ₹70.18 लाख (गत वर्ष 114.218 एकड़ जिसका मूल्य ₹70.18 लाख थी) के हक विलेख अभी कंपनी के नाम से रजिस्टर किए जाने हैं।

10. (i) चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत पुनर्वास खर्चों में कार्यों के निष्पादन / विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहीत की गयी 609.04 एकड़ (पिछले वर्ष 608.77 एकड़) जमीन की लागत के लिए ₹536.18 लाख (गत वर्ष ₹460.63 लाख) राशि शामिल है

इसके अलावा टिहरी एचपीपी चरण – I से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी और ईडीसी के पुनर्वास के लिए ₹ 7277.46 लाख (गत वर्ष ₹3467.34 लाख) वर्ष 2010–11 के दौरान पूंजीकृत किए गये, जिसमें 754.245 एकड़ (गत वर्ष शून्य एकड़) जमीन के अधिग्रहण के लिए ₹1237.33 लाख (गत वर्ष ₹177.84 लाख) शामिल हैं।

(ii) पुनःस्थापन के लिए नये स्थानों पर विस्थापितों को आबंटित सम्पत्ति का पंजीकरण चल रहा है और इसकी देख–रेख उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जिसे बांध के विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

(iii) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 17 / 23 अक्टूबर, 2002 के आदेश संख्या एफ सं. 8–3 / 89 एफ सी के अनुसरण में उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जीआई 186 / 7–1–2002–300(459) / 88 अंतर्गत कोटेश्वर बांध परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के निर्माण के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्ष के पट्टे पर 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम तथा वन भूमि के डायवर्जन का आदेश जारी किया है। 337.057 हेक्टेयर के लिए पट्टा विलेख उत्तराखंड सरकार के साथ 01.01.2003 को निष्पादित किया जा चुका है। 1.875 हेक्टेयर वन भूमि के लिए पट्टा विलेख, जिसके के लिए भुगतान किया जा चुका है, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लम्बित है तथा पट्टा धारण भूमि के तौर पर दिखाया गया है। 338.932 हेक्टेयर में से 218.307 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आती है और बांध के पूरा होने पर पूंजीकृत किये जाने के लिए पुनर्वास के अंतर्गत दिखायी गयी है। डूब क्षेत्र के ऊपर 120.625 हेक्टेयर भूमि के बारे में 67.84 लाख रुपये की राशि को 30 वर्षों में परिशोधित किया जा रहा है।

(iv) कोटेश्वर बांध परियोजना (4 × 100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क दी गयी 14.37 एकड़ भूमि का हिसाब एक रुपये की सांकेतिक कीमत पर लगाया है।

(v) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 29.04.2008 के आदेश सं. 08बी/यूसीपी/06/312/2006/एफसी/144 द्वारा विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजना में सड़क बनाने के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्षों की अवधि के लिए 5.75 हेक्टेयर वन भूमि पट्टे पर देने के लिए मंजूरी दी गयी है जिसके लिए पट्टा प्रीमियम अदा कर दिया गया है। इस भूमि को लीज होल्ड के रूप में दिखाया गया है। लेकिन, इसके बारे में कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं। अंतिम समाधान के समय आवश्यक समायोजन कर दिया जाएगा।

11. (i) अचल परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन के दौरान जो छोटी–मोटी कमियां पायी गयी हैं, उनकी जांच की जा रही है तथा कमियों को दूर किया जा रहा है। अंतिम समाधान के समय वास्तविक समायोजन कर दिया जाएगा।

(ii) वास्तविक लागत के अभाव में वास्तविक सत्यापान के दौरान अधिक पायी कुछ परिसम्पत्तियों को ₹1 प्रत्येक के सांकेतिक मूल्य पर दर्ज किया गया है।

12. अग्रिमों, देनदारों, लेनदारों तथा संक्रमणाधीन/ठेकेदार के पास सामग्री के अंतर्गत दिखाये गये शेष पुष्टि/मिलान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन है।

13. बैंकों के पास जमा शेष में ₹136.78 लाख (गत वर्ष ₹136.78 लाख) शामिल हैं, जिसके संबंध में रॉयल्टी, स्पिलवे वृद्धि एवं विद्युत प्रभारों की वसूली के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया गया है।

14. चल रही छानबीन के दौरान ₹0.89 लाख की क्षतियां/कमियां (गत वर्ष ₹1.85 लाख) कमी के द्योतक हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लम्बित होने के कारण दावों का समायोजन करना अभी बाकी है।

15. कंपनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार से उनके दिनांक 17.12.2008 के पत्र सं. 40/2/2008–सीएल–III के जरिये भारत सरकार को आबंटित शेयर पूंजी के 277.87 इक्विटी शेयर (₹1000 प्रति) निरस्त करके शेयर पूंजी में ₹277.87 लाख कटौती की पुष्टि की सूचना मिली है। इसके लिए जरूरी प्रविष्टियां वर्ष 2008–09 में कर दी गयी हैं। यह कटौती पावर ग्रिड कार्रेरपोरेशन आफ इंडिया को ट्रांसमिशन लाइनों और संबद्ध सब–स्टेशनों के हस्तांतरण के एवज में मिली आंशिक क्रय राशि का द्योतक है। इस प्रकार इस मामले में कुल ₹1118.87 लाख की शेयर पूंजी की कमी, हुई जिसमें पहले 1998–99 में ₹841.00 लाख की गई कमी शामिल है।

16. (i) कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर बने 90 फ्लैट (गत वर्ष 35 फ्लैट) विभिन्न व्यक्तियों अनधिकृत कब्जे में कार्यवाही की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ii) 26 ई.सी. रोड, देहरादून में ₹20.10 लाख कीमत से टीएचडीसी परिसर में बने आवागमन कैम्प का इस्तेमाल टीएचडीसी तथा उत्तराखंड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है जो टिहरी बांध परियोजना के पुनर्वास कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि पुनर्वास गतिविधियां पूरी होने के बाद ये परिसम्पत्तियां कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।

(iii) फ्रीहोल्ड भूमि में 0.458 हेक्टेअर भूमि शामिल है जो सौतियाल गांव में है और जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

17. संगम के अनुच्छेदों के अनुसार 1000 मेगावाट की टिहरी एचपीपी परियोजना के सिंचाई घटक के, जो कुल लागत के 20% के बराबर है, की लागत उपभोक्ता अंशदान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जानी है। 31.03.2011 तक परियोजना पर उपगत कुल लागत ₹839245.05 लाख (गत वर्ष ₹839245.05 लाख) परिकलित की गई थी जिसमें फार्मूले के अनुसार सिंचाई क्षेत्र की लागत ₹144133.80 लाख (गत वर्ष ₹144133.80 लाख) बनती है। 31.03.2011 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹144118.38 लाख (गत वर्ष ₹144118.38 लाख) दे दिए हैं ।

18. संगम अनुच्छेदों के खंड संख्या 61 (बी) के अनुसार सिंचाई क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले अनुरक्षण खर्च कंपनी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय किये जाने हैं। पारस्परिक सहमति होने तक इसे उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिदेय नहीं दर्शाया गया है।

19. वर्ष 2007–08 के दौरान टिहरी एचपीपी – I ने उत्पादन स्टेशन का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया गया है। प्रबंधन का मत है कि टिहरी एचपीपी – I का प्रतिनिधित्व करने वाले नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के संबंध में लेखाकरण मानक (एएस) 28 की दृष्टि से वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है।

20. (i) विद्युत उत्पादन इस कंपनी की व्यापारिक गतिविधि है। इसीलिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक – 17 के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट करने लायक खंड नहीं हैं।

(ii) कंपनी के विद्युत गृह (पावर स्टेशन) देश के भीतर ही स्थित हैं। अतः इसके लिए भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

21. संबद्ध पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण :

लेखाकरण मानक –18 से संबद्ध "पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण" में की गई अपेक्षा के अनुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का ब्योरा इस प्रकार है:–

क) सम्बद्ध पक्षकार – प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

1. श्री आर एस टी शाई — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री ए. एस. बिष्ट — निदेशक (कार्मिक)
3. श्री सी. पी. सिंह — निदेशक (वित्त)
4. श्री डी. वी. सिंह — निदेशक (तकनीकी)

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – शून्य

ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक नोट 42 पर दर्शाया गया है।

घ) टीएचडीसीआईएल, एनपीसीआईएल संयुक्त उद्यम गठित किए जाएंगे जैसा कि नोट 28 में कहा गया है।

22. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और परिवर्तित

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और परिवर्तित) इस प्रकार हैं:

	2010–11	2009–10
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपये)	60047.87	47995.12
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिनका प्रयोग डिनोगीनेटर के रूप में हुआ है	32975817	32975817
प्रतिशेयर आय रुपये मूल	182.10	145.55
परिवर्तित	182.10	145.55
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

23. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों का लेखांकन" के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में ₹5789.83 लाख (गत वर्ष ₹7502.67 लाख) जो कि आस्थगित देयता में कमी दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के सीईआरसी विनियम के अनुसार वापस नहीं की जा सकती है। संचयी आस्थगित कर देयताओं/ परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है:

₹ लाख में

क्र. सं.		31.03.2011	31.03.2010
(i)	आस्थगित कर देयता (ए)		
	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	0	0
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (बी)		
(ii)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	6867.55	1410.32
(iii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	9625.04	9625.04
(iv)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	107.39	81.14
(v)	कर्मचारी हित योजनाओं के लिए प्रावधान	3005.48	2699.13
	शुद्ध आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (ए–बी)	**(19605.46)**	**(13815.63)**

24. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष 2010–11 के दौरान 2009–10 के कर पूर्व लाभ 2% लाभ की दर से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि के लिए उद्ग्रहित कर ले। खर्च न हुई राशि के लिए व्यपगम न करने योग्य सीएसआर अधिक के रूप में प्रावधान किया गया है।

25. प्रबंधन की राय में अचल परिसमपत्तियों, निर्माण संबंधी भंडारों, वसूले गये ऋणों और अग्रिमों के मूल्य तुलन–पत्र में दर्शाये गये मूल्य से कम नहीं होंगे।

26 (क) कंपनी के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऐसे आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं हैं जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत 31 मार्च, 2011 तक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में पंजीकृत किया गया है।

ख) 31 मार्च, 2011 के लघु/सहायक उद्योगों से की गई खरीददारी/सेवाओं के संबंध में 30 से अधिक दिन से अधिक कोई देयता नहीं है।

27. (i) महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 21.04.2008 के पत्र सं. एमआईएस – 1207/(126/2007)/एचपी के जरिये टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के अभी निगमित किये जाने वाले संयुक्त उद्यम को दो परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम सौंपा है। इन परियोजनाओं के नाम हैं – पुणे जिले में कालू नदी पर

मालशेज घाट (600 मेगावाट) और सतारा जिले में कोयना परियोजना की अपस्ट्रीम पर बनायी जाने वाली हुम्बर्ली (400 मेगावाट)। इसके लिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के बीच अगस्त, 2008 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं और सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का काम शुरू कर दिया गया है और 31 मार्च, 2011 तक टीएचडीसी ने इस पर ₹623.21 लाख (गत वर्ष ₹253.52 लाख) खर्च किये गए हैं। इसे संयुक्त उद्यम से वसूली योग्य दर्शाया गया है।

(ii) इसके अलावा भारत सरकार ने दिनांक 22.07.2008 के अपने डी.ओ. नं. 11/01/2008–बीबीएमबी के जरिये वांगचू, भूटान के डीपीआर को संकोश परियोजना (4060 मेगावाट), संकोश और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) अद्यतन करने का काम परामर्शी आधार पर टीएचडीसी को सौंपा है। इसके लिए 23.03.10 को क्रमशः ₹ 1682.075 लाख तथा 24.06.10 को ₹1378.75 लाख के करार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और भूटान की शाही सरकार के बीच किए गए । तद्नुसार डीपीआर को अद्यतन करने का काम शुरू कर दिया गया है।

(iii) टीएचडीसीआईएल, उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीपीएल के बीच खुर्जा, जिला – बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट का कोयला आधारित सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो इसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की स्थापना, ईंधन के लिए तालमेल, विद्युत लेने के लिए वचनबद्धता, पीपीए पर हस्ताक्षर तथा उचित अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन होगा। तद्नुसार प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) के लिए आरंभिक कार्य टीएचडीसी इंडिया लि. द्वारा शुरू कर दिए गए हैं।

28. भारत सरकार के निर्देशानुसार कंपनी वरूणावत पर्वत के स्थिरीकरण के काम में एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में उत्तराखंड सरकार की मदद कर रही है व्यय हुए खर्च की प्रतिपूर्ति उत्तराखंड सरकार द्वारा की जानी है। इस सिलसिले में ₹787.18 लाख (गत वर्ष ₹677.37 लाख) के स्थान पर ₹566.36 लाख (गत वर्ष ₹239.77 लाख) कंपनी को पहले ही वापस किये जा चुके हैं।

29. भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1998 में किये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सरकारों को योजना की पुनर्वास गतिविधियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इनका संचालन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गयी निधियों में से सीधे उन्हीं के द्वारा किया जाना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये समेकित व्यय विवरण के अनुसार उद्ग्रहित व्यय कंपनी के लेखा बहियों में दर्ज किया गया है जो उत्तराखंड सरकार से संबंधित प्रभागों द्वारा महालेखाकार, उत्तराखंड को दिये गये मासिक विवरण के आधार पर समेकित किया जाता है। पुनर्वास काम में लगे उत्तराखंड सरकार के कार्मिकों के स्थापना खर्च प्राप्त लेखा विवरण में दर्शायी गयी सीमा तक दर्ज किये गये हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा की गयी सीधी प्रतिपूर्ति का हिसाब–किताब उनके लिए दावे मिलने पर किया जायेगा।

30. निर्धारित हानियों का लेखाकरण अंतिम बिलों/सुपुर्दगी अनुसूची के निस्तारण पर किया जाता है।

31. टिहरी बांध के गृह विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए केदारपुरम् में निर्मित भवनों और भूमि की कीमत अदर्गीकृत भूमि में शामिल की गई है। गृह विस्थापितों को आबंटित न की गई कुछ गौण भूमि और भवन का इस्तेमाल कंपनी कर रही है। इसका स्वामित्व अभी कंपनी को अंतरित नहीं किया गया है। लागत के ब्यौरों को पुनर्वास रिकार्ड से संबद्ध करना लंबित होने के कारण इसे भूमि और भवन को अंतरित नहीं किया गया है।

32. (i) पावरहाउस एवं स्पिलवेज संविदा प्रावधानों के अनुसार मात्रा विभिन्नता के लिए छूट हेतु क्रमशः ठेकेदारों (केसीटी एंड ब्रदर्स सी.एस. लिमिटेड (केसीटी) से वसूली हेतु नैनीताल उच्च न्यायालय में कंपनी द्वारा प्रतिवाद किया गया है। अदालत के आदेशों के अनुसार ये मामले माध्यस्थम को सौंप दिये गये हैं। यह मामला अभी माध्यस्थम ट्रिब्यूनल के पास लम्बित है। इन ठेकों के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का मूल्य मुकदमे के फैसले पर निर्भर करेगा।

(ii) ठेकेदारों को दिये गये अग्रिम में ₹20478.75 लाख (मूलधन ₹15899.99 लाख और 16% की दर से ब्याज ₹4578.76 लाख) (गत वर्ष ₹15610.07 लाख, मूलधन ₹12663.97 लाख और 16% की दर से ब्याज ₹2946.10 लाख) शामिल हैं जो जोखिम और खर्च लेखा, मोबलाइजेशन अग्रिम तथा उपस्कर अग्रिम के लिए केएचइपी ठेकेदार (मेसर्स पीसीएल) से वसूला जाना है। 31 मार्च, 2011 तक टीएचडीसी के पास उपलब्ध प्रतिभूति (निष्पादन गारंटी/नगद के रूप में केवल ₹5628.71 लाख) (गत वर्ष ₹5628.71 लाख) उपलब्ध है।

मैसर्स पीसीएल के संबंध में माध्यस्थम के मामले में टीएचडीसीआईएल ने इस मामले में माध्यस्थम के समक्ष प्रति दावा पेश किया है। माध्यस्थमों ने अपने फैसले में ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) से वसूली योग्य अग्रिम पर ब्याज की अनुमति नहीं दी है। टीएचडीसीआईएल ने माध्यस्थम के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायालय से फैसला न होने के कारण बहियों में ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

33. वर्ष 2010–11 के दौरान भारी वर्षा के कारण केएचईपी परियोजना में बाढ़ आई जिससे निर्माणाधीन कोटेश्वर परियोजना के कुछ उपस्करों को नुकसान हुआ ओर लगभग 30.00 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया। इस नुकसान के लिए

ठेकेदार मैसर्स बीएचईएल द्वारा बीमा दावा कर दिया गया है। निर्माण कार्य की बहाली/दोबारा शुरू करने पर हुए खर्च का सीडब्लूआईपी के तहत दर्शाया गया है। बीमा दावा की राशि प्राप्त हो जाने पर इसे सीडब्लूआईपी में समायोजित किया जाएगा।

34. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने मार्च 2004 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 अधिसूचित किया था। ये विनियम 01.04.2004 को लागू हुए और 5 वर्षों तक लागू रहे। कंपनी ने सीईआरसी की विनियमावली, 2004 के निर्धारित सिद्धांतों के अनुसरण में अनंतिम टैरिफ निर्धारण के लिए कंपनी ने सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की। सीईआरसी ने 28 दिसम्बर, 2006 को अनन्तिम टैरिफ आदेश जारी करते हुए कहा कि अनुमोदित टैरिफ एक अंनतिम उपाय है तथा याचिका में दावा किए गए वार्षिक नियत प्रभारों का अल्पीकरण करने वाला है। तद्नुसार 31.3.2007 तक की अवधि के लिए गौण ऊर्जा एवं क्षमता सूचकांक की कोई गणना नहीं होगी। इस प्रतिकूल आदेश के खिलाफ कंपनी ने विद्युत के लिए माननीय अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की जिसने अपने दिनांक 02.07.2007 के आदेश में कहा है कि आयोग अंतिम टैरिफ निर्धारित करते समय सम्मिलित पक्षकरों के सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करेगा।

वर्ष 2007–2008 के दौरान अंतिम यूनिट अर्थात टिहरी चरण – I उत्पादन केन्द्र की पहली यूनिट को 08.07.2007 को वाणिज्यिक प्रचालन के लिए चालू घोषित किया तथा याचिका को 07.07.2007 तक लेखा परीक्षित एवं प्रमाणित खर्चों के आधार पर अद्यतन किया गया। बाद में सीईआरसी ने 14.03.08 के अपने आदेश द्वारा सूचित किया कि उत्पादन केन्द्र की अंतिम यूनिट यानि टिहरी चरण – I के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि 09.07.2007 को 0.00 बजे से गिनी जाएगी। तद्नुसार कंपनी 08.07.2007 तक के लिए आईडीसी तथा एसोसिएटेड लागतों की हकदार होगी।

भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 11.11.2010 के पत्र सं. 11/6/2010–11–1 द्वारा ₹ 8392.45 करोड़ के टिहरी एचपीपी (चरण– I) के संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदन दे दिया है और टीएचडीसीआईएल ने तद्नुसार 2006–2009 में प्रशुल्क अवधि के लिए सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की है। दिनांक 9.7.2007 को अंतिम यूनिट अर्थात टिहरी एचपीपी चरण– I के वाणिज्यिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षित और प्रमाणित एएफसी पर वित्त वर्ष 2010–11 की बहियों में विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त सीईआरसी विनियम, 2009 में निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए 2010–11 के लिए एएफसी की गणना कर ली गई है और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित करवा लिया गया है। तद्नुसार कंपनी ने 165508.86 लाख रुपये का बिल (गत वर्ष ₹143291.92 लाख जिसमें पिछले वर्ष के ए एफ सी में संशोधन के कारण गौण ऊर्जा और प्रभारों के क्रमशः ₹2250.99 लाख तथा ₹5221.42 लाख) शामिल हैं। सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण होने तक वर्ष के लिए राजस्व अनंतिम रूप से तय किया गया है। सीईआरसी के अनुसार परिकलित एएफसी और प्रशुल्क को अंतिम रूप दिए जाने तक सीईआरसी द्वारा अनुमत्य अनंतिम दर के बीच बिलों में अंतर आने के कारण कर्जदारों पर ₹92457.69 लाख (गत वर्ष ₹56825.35 लाख) हैं। इसके अतिरिक्त कोटेश्वर एचईपी के यूनिट – I और II के माध्यम से उत्पादित अस्थिर ऊर्जा से ₹12.10 लाख अर्जित किए हैं।

35. वर्ष के दौरान कंपनी ने सीईआरसी (निवर्तमान विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत गठित तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय) द्वारा टैरिफ वसूली के लिए अधिसूचित दरों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का प्रावधान किया है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट दरों से अलग है। विद्युत मंत्रालय, – भारत सरकार ने टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास दरों को टैरिफ के साथ–साथ लेखाकरण के लिए लागू करने का भी प्रावधान किया गया है। सीईआरसी द्वारा टैरिफ नीति के अनुसार मानदण्डों के तय होने तक वर्तमान टैरिफ नीति मानदंडों के तहत अधिसूचित दरों को वर्ष के लिए मूल्यह्रास निकालने के लिए ठीक समझा गया है।

36. सीईआरसी विनियम 2004–2009 के तहत प्रशुल्क के घटक के रूप में अनुमत्य मूल्यह्रास के लिए अग्रिम को बिक्री से घटाकर आरथगित राजरव गान लिया गया था जिराका रागायोजन बाद के वर्षों में बिक्री में किया जाना था। सीईआरसी विनियन 2009–2014 के अनुसार इसे 01.04.2009 से समाप्त कर दिया गया है।

37. (i) कम्पनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथिगृहों/मार्गस्थ कैम्पों तथा वाहनों के लिए परिसर पट्टे/किराये पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं प्रायः आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीकृत की जा सकती हैं लेकिन इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। किराया दर तथा करों में पट्टा भुगतान के लिए ₹774.77 लाख (गत वर्ष ₹402.72 लाख) शामिल है। (निवल वसूली)

(ii) टीएचडीसीआईएल ने दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन कारपोरेशन लिमिटेड से एनबीसीसी भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली में 01 जुलाई, 2010 से 6 वर्षों के लिए ₹212 प्रति वर्ग फीट की दर से 2270 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला कार्यालय पट्टे पर लिया है जिसकी कुल कीमत ₹481240.00 एवं सेवा कर होगी। पट्टे पर लिए गए कार्यालय का कुछ भाग, जो 1870 वर्ग फीट है, ₹212 प्रति वर्ग फीट की दर से फरवरी, 2011 से 9 माह के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कुल ₹396440.00 में शिकमी पट्टे पर दिया गया है।

38. कम्पनी निम्नलिखित के अनुसार भी प्रावधान किए हैं :– **2010–2011** ₹ लाख में

क्रमांक	विवरण	आदि शेष	अभिवृद्धि	प्रयुक्त / समायोजन	अंतिम शेष
1.	निर्माण	3702.91	2048.07	3701.60	2049.38
2.	कर्मचारियों से संबंधित	19936.83	5136.80	2319.90	22753.74
3.	प्रस्तावित लाभांश	8500.00	5600.00	8500.00	5600.00
4.	अंतरिम लाभांश पर कर		2076.09		2076.09
5.	प्रस्तावित लाभांश पर कर	1444.58	930.09	1444.58	930.09
6.	अन्य	3214.37		1465.01	1749.36
	योग	**36798.70**	**15791.05**	**17431.09**	**35158.66**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निर्माण, कर्मचारियों, प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश पर कर, प्रस्तावित लाभांश पर कर तथा कर एवं अन्य का प्रावधान किया है। निर्माण कार्य में मुख्यतः 31.03.2011 की गैर–मापित निर्माण कार्य शामिल हैं। कर्मचारियों के लिए प्रावधान में लेखाकरण नीति संख्या 11 (i) के तहत छुट्टी नगदीकरण, उपदान, सेवा निवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, अंतिम संस्कार, बैगेज भत्ता तथा बकाया वेतन आदि शामिल हैं। कर एवं अन्य में आयकर, संपत्ति कर, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शामिल हैं।

39. (i) कम्पनी पूर्व निर्धारित दरों से भविष्य निधि का निश्चित अंशदान एक अलग ट्रस्ट को अदा करती है जो इस राशि को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अवधि के लिए निधि के अंशदान को खर्च माना जाता है तथा लाभ एवं हानि खातों से प्रभारित किया जाता है। यह ट्रस्ट सदस्यों के अंशदान पर श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करता है। हालांकि, कम्पनी की प्रतिबद्धता ऐसे नियत अंशदान एवं ट्रस्ट द्वारा ब्याज प्रतिबद्धता, होने वाली कमी को पूरी करने तक सीमित हैं। तदनुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2011 को एएस–15 (संशोधित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए संवैधानिक ब्याज दर गारंटी के कारण देनदारी ₹323.03 लाख (गत वर्ष ₹320.00 लाख) होती है जबकि तुलन–पत्र के तारीख को राजस्व अधिशेष ₹20.35 लाख (गत वर्ष में ₹219.97 लाख) उपलब्ध थी। इसीलिए ₹302.68 लाख (गत वर्ष ₹100.03 लाख) के अंतर के देयता खातों दी गई है। वर्ष के दौरान खातों में ₹202.65 लाख (गत वर्ष ₹100.03 लाख) दिया गया है।

(ii) "कर्मचारियों को लाभ" के संबंध में एएस–15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2010 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए का प्रावधान किया गया है। तदनुसार "कर्मचारियों का लाभ" के संबंध में लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के तहत 31.3.2011 को समाप्त वित वर्ष के लिए प्रकटीकरण किया गया है।

सारणी–I निम्नलिखित पर एक्यूरियल मूल्यांकन के लिए प्रमुख एक्यूरिज अनुमान ₹ लाख में

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
मृत्यु सारणी	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	8%	7.5%
भावी वेतन वृद्धि	5.5%	5%

सारणी–2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन ₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	6911.35	2729.64	1513.99	2980.27	495.85
ब्याज लागत	552.91	218.37	121.12	238.42	39.67
गत सेवा लागत	....	.....	..	...	..
वर्तमान सेवा लागत	395.17	198.19	59.20	195.76	36.30
भुगतान किया गया लाभ	(130.79)	(375.57)	(19.42)	(63.23)	(33.91)
एक्यूरियल (लाभ / हानि)	(757.40)	359.55	(105.14)	(8.40)	(32.29)
वर्ष के अंत में पी वी ओ	6971.24	3130.17	1569.75	3342.82	505.62

सारणी–3 तुलन–पत्र में चिन्हित राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	6971.24	3130.17	1569.75	3342.82	505.62
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	....	.....	..	...	..
निधियों की स्थिति	(6971.24)	(3130.17)	(1569.75)	(3342.82)	(505.62)
चिन्हित न हुए एक्यूरियल लाभ/हानि	....	.....	..	...	..
तुलन–पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	6971.24	3130.17	1569.75	3342.82	505.62

सारणी– 4 लाभ और हानि खाते/ईडीसी में चिन्हित राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
चालू सेवा लागत	395.17	198.19	59.2	195.76	36.30
ब्याज लागत	552.91	218.37	121.12	238.42	39.67
गत सेवा लागत	....	.....	..	...	..
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	....	.....	..	...	..
वर्ष के लिए चिन्हित निवल एक्टूरियल (लाभ)/हानि	(757.40)	359.55	(105.14)	(8.40)	(32.29)
वर्ष के लिए लाभ और हानि ईडीसी में चिन्हित व्यय	190.67	776.11	75.18	425.78	43.68

40. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के तहत देय उपकर की दर अधिसूचित नहीं की है इसलिए कंपनी ने कारोबार पर किसी प्रकार के उपकर का प्रावधान नहीं किया है।

41. लेखांकन नीति में परिवर्तन

क्र. सं.	नीति	प्रभाव
1.	परामर्शी कार्यों से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने के संबंध में नई लेखांकन नीति संख्या 10(vii) शुरू की गई है।	ऋण और अग्रिम 602.15 लाख रुपये का मूल्यह्रास तथा पूर्व अवधि के व्यय में तदनरूपी ₹602.15 लाख की बढ़ोत्तरी
2.	एलटीसी शब्द को हटाकर कर्मचारियों को लाभ देने के संबंध में लेखांकन नीति संख्या 11 (i) में संशोधन किया गया है।	कर्मचारियों से जुड़े प्रावधानों में ₹256.47 लाख का ह्रास तथा अधिशेष आय प्रावधान में ₹256.47 लाख की वृद्धि बट्टे खाते डाली गई।

42. निदेशकों को भुगतान किया गया/भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

	2010–11	2009–10
(i) वेतन और भत्ते	141.59	46.38
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	6.87	5.32
(iii) अन्य लाभ	72.45	28.74
(iv) स्वतंत्र निदेशकों की फीस और व्यय	14.64	11.19
(v) निदेशकों का यात्रा भत्ता व्यय	16.09	7.21
(vi) पेंशन निधि	19.44	0.00

उपर्युक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को स्टाफ कार जिसमें निजी यात्रा के लिए ₹ 780/–प्रति माह के भुगतान की अनुमति दी गई है। (जैसा कि उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 26 मार्च, 1999 के परिपत्र संख्या 2(53)/90–डीपीई(डब्ल्यूओ)–जीआईवी के प्रावधानों के अनुसार लागू है।)

43. लेखा परीक्षकों को भुगतान

(₹ लाख में)

	2010–2011	2009–10
लेखा परीक्षा शुल्क (सेवाकर सहित)	4.13*	4.13
अन्य क्षमता में	7.06	8.16
आउट आफ पाकेट एक्सपेंस	2.62	4.48

* वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अधीन

44. कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग–II अनुसूची VI के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना निम्नानुसार है।

(₹ लाख में)

	विवरण	2010-11	2009-2010
क	विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)		
	यात्रा	21.08	36.30
	परामर्श और व्यावसयिक प्रभार	611.19	230.8
	ऋण एवं ब्याज की अदायगी	2196.90	2660.36
	माल का आयात	74.61	66.77
	अन्य (संचालन प्रभार)	3.40	6.68
	कुल	2907.18	3000.91
ख	विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)	1851.65	0.00
ग	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य		
(i)	पूंजी माल	13.13	180.37
(ii)	अतिरिक्त पुर्जे	0.00	0.00
	कुल	13.13	180.37
घ	प्रयुक्त घटकों, स्टोरों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य		
(i)	आयातित (रूपए में)	0.30	0.00
	%	0.27%	0.00%
(ii)	देशी (रूपए में)	110.84	33.81
	%	99.73%	100.00%
ङ.	निर्यात का मूल्य	0.00	0.00

45. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2009-10
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1200 मे.वा.	1000 मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा)– (सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2844 मे.वा.	2844 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
(क)	पूर्व–वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	0.4338 मि.यू.	शून्य
	बिक्री	0.4295 मि.यू.	शून्य
(ख)	वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	3116.0253 मि.यू.	2116.7918 मि.यू.
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत के बाद निवल)	2730.5833 मि.यू.	1840.4124 मि.यू.

** विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

46. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

47. अनुसूची '1' से '27' लेखाओं की अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी.शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 084072

दिनांक : 31 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के तहत आवश्यक अतिरिक्त सूचनाएं

राशि हजार ₹ में

तुलन पत्र सार और कंपनी का सामान्य व्यापार प्रोफाइल	
i) पंजीकरण का ब्यौरा	
पंजीकरण संख्या	00009822
राज्य का कोड	00000020
तुलन पत्र की तारीख	31 मार्च, 2011
ii) वर्ष के दौरान उगाही गई पूंजी	
पब्लिक इश्यू	शून्य
राइट इश्यू	शून्य
प्राइवेट प्लेसमेंट	
(i) भारत सरकार को जारी शेयर (संख्या) (निवल)	शून्य
(ii) उत्तर प्रदेश सरकार को जारी शेयर (संख्या)	शून्य
शेयर पूंजी अंशदान आबंटन निम्नलिखित को लंबित	
भारत सरकार	शून्य
उत्तर प्रदेश सरकार	शून्य
बोनस मुद्दा	शून्य
iii) निधियां एकत्र करने और लगाने की स्थिति	
कुल देयताएं	11,65,27,009
कुल परिसंपत्तियां	11,65,27,009
निधियों के स्रोत	
प्रदत्त पूंजी	3,29,75,817
पूंजी लंबित आबंटन	शून्य
आरक्षित और अधिशेष जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) का अंशदान शामिल है	2,47,53,030
सुरक्षित ऋण	4,60,19,444
असुरक्षित ऋण	28,86,468
मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व	28,33,089
निधियों का उपयोग	
निवल स्थिर परिसंपत्तियां	9,09,97,688
निर्माण स्टोरों और अग्रिमों सहित पूंजी कार्य प्रगति पर	1,10,29,748
निवेश	
आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	13,29,250
निवल चालू परिसंपत्तियां	61,08,878
विविध व्यय	2,284
iv) कंपनी निष्पादन	
कारोबार (अन्य आय सहित)	1,68,92,712
कुल व्यय	1,01,00,708
कर पूर्व लाभ / हानि	67,92,004
करोपरांत लाभ / हानि	60,04,787
प्रति शेयर आय (रू.)	182.10
लाभांश दर (%)	5.489
v) प्रमुख उत्पाद / कंपनी सेवा का सामान्य नाम	
मद कोड संख्या	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	विद्युत का उत्पादन

दिनांक : 31 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि हजार ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कम के द्योतक हैं)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ तथा पूर्वानिधि समायोजन		**67,71,919**		**49,19,002**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :–				
मूल्यह्रास	34,93,263		34,58,440	
प्रावधान	7,905		22,107	
मूल्यह्रास बाबत अग्रिम–आस्थगित	–		3,91,497	
ऋणों पर ब्याज	37,79,664		40,69,210	
ग्राहकों को छूट	1,33,638		1,14,701	
पूर्व अवधि समायोजन	20,085	74,34,555	(12,393)	80,43,562
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचलित लाभ		**1,42,06,474**		**1,29,62,564**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन				
वस्तु सूची	(6,608)		(33,896)	
विविध देनदार	(35,72,832)		(38,32500)	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	764		2,990	
ऋण और अग्रिम	(4,021)		(52,337)	
चालू देयताएं	20,62,930		(1,75,324)	
प्रावधान	(1,64,004)	(16,83,771)	12,43,132	(28,47,935)
परिचालनों से नकद अर्जन		**1,25,22,703**		**1,01,14,629**
चुकता प्रत्यक्ष कर		(13,66,200)		(8,57,364)
परिचालनों से निवल रोकड़ (क)		**1,11,56,503**		**92,57,265**
ख. निवेश गतिविधियों में परिवर्तन से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तनः–				
अचल परिसंपत्तियां एवं सीडब्ल्यूआईपी	(75,22,549)		(64,94,495)	
निर्माण भण्डार	(15,505)		291	
पूंजी अग्रिम	(1,34,805)		(3,29,848)	
विविध व्यय (समायोजित न की जाने वाली सीमा तक)	1,316		1,226	

राशि हजार ₹ में
(कोष्ठक में दिये गये आकड़े कमी के द्योतक हैं)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
निवेश गतिविधियों से निवल प्रवाह (ख)		**(76,71,543)**		**(68,22,826)**
ग. वित्त–पोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
अंश पूंजी	–		–	
सिंचाई अंशदान	–		4,53,400	
अन्य आरक्षित पूंजी	4,069		124	
ऋण	28,28,413		26,35,129	
ऋणों पर ब्याज	(37,79,664)		(40,69,210)	
ग्राहकों को छूट	(1,33,638)		(1,14,701)	
लाभांश एवं लाभांश पर कर	(21,10,618)		(16,96428)	
वित्त–पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ग)		**(31,91,438)**		**(27,91,686)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**2,93,522**		**3,57,247**
ङ. प्रारंभिक नकद और नगदी समतुल्य		**2,30,870**		**5,88,117**
च. अंतिम नकदी और नकदी के समकक्ष (घ+ङ)		**5,24,392**		**2,30,870**

1. नगदी और नगदी समतुल्य में बैंको में शेष ₹136.78 लाख (पिछले वर्ष ₹136.78लाख) है जो कारपोरेशन द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ो को पुनः एकत्रित/व्यवस्थित/दर्शित किया गया है।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या–84072

दिनांक : 31 अगस्त, 2011
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सभी सदस्य

1. हमने 31 मार्च, 2011 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संलग्न तुलन–पत्र तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि खाते तथा नगदी प्रवाह विवरण की भी लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपनी राय जाहिर करना है।

2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उक्त मानकों में अपेक्षित है कि हम यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों से मुक्त हैं, लेखा परीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर राशियों के अनुसमर्थक साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटनों की जांच करना शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ–साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्त संगत आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अनुसरण में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2004 द्वारा यथापेक्षित तथा हमारे द्वारा उचित समझी गयी जांचों के अनुसार और हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक में इस कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 ओर 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।

4. हम आपका ध्यान निम्नलिखित की तरफ आकर्षित कर रहे हैं:–

(क) अनुसूची 27 की टिप्पणी संख्या 5 – उत्तराखंड सरकार द्वारा अतिरिक्त जगह के लिए 31 मार्च, 2011 को देय ₹ 5880.00 लाख की बाकी राशि रॉयल्टी के लिए देयताओं के समायोजन के बाद भी अभी वसूल करनी बाकी है।

(ख) अनुसूची 27 की टिप्पणी संख्या 10 (i) शीर्ष 'अवर्गीकृत भूमि' के तहत खातों में पूंजीकृत ₹ 7277.46 लाख के पुनर्वास व्यय को उत्तराखंड सरकार/ सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर खातों में शामिल किया गया है और इस प्रकार यह सत्यापन के अध्यधीन नहीं है।

(ग) अनुसूची 27 की टिप्पणी संख्या 12 – फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, प्रतिभूति जमा/ धरोहर राशि जमा, ऋण एवं अग्रिम सभी पुष्टि एवं समाधान के अध्यधीन हैं।

(घ) अनुसूची 27 की टिप्पणी संख्या 16 (i) – यह कॉरपोरेशन द्वारा अधिग्रहित भूमि पर 90 फ्लैटों (गत वर्ष 35) पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जे से संबंधित है।

(ड.) अनुसूची 27 की टिप्पणी संख्या 32 (ii) केचएफपी ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) की ₹ 5628.71 लाख की प्रतिभूति के लिए उसके जोखिम और लागत पर निष्पादित कार्य के लिए ₹ 20478.75 लाख ठेकेदार को दिए गए अग्रिम में शामिल है।

(च) अनुसूची 27 की टिप्पणी संख्या 34 – बिक्री का लेखांकन सीईआरसी द्वारा टैरिफ को अंतिम रूप से तय करने तक अनंतिम आधार पर किया जा रहा है।

5. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणी के आगे तथा उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में दी गई अन्य मदों पर ध्यानाकर्षित करते हुए हम सूचित करते हैं कि:

(क) अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमने अपनी परीक्षा के लिए जरूरी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

(ख) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित खातों की उचित बहियां रखी गयी हैं, जैसा कि हमारे द्वारा बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नगदी प्रवाह के विवरण खाते बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नगदी प्रवाह विवरण, जिन्हें इस रिपोर्ट के साथ दिखाया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में सदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ड.) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 17.7.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) का खंड (जी), जो निदेशकों को अयोग्य ठहराने से संबंधित है, का प्रावधान इस सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता।

6. हमारी राय में सर्वश्रेष्ठ सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त खाते, जिन्हें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पढ़ा जाए एवं उन पर टिप्पणियां, जो उसके साथ संलग्न हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना निर्धारित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सच्ची एवं उचित तस्वीर प्रकट करते हैं:

(क) तुलन–पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2011 की कंपनी की कार्य स्थिति की।

(ख) लाभ एवं हानि के खाते के मामले में, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की, तथा

(ग) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह की।

कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
रजि. नं. 002871 एन

(हरबीर सिंह गुलाटी)
साझेदार, एफसीए
सदस्यता संख्या – 84072

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : 31.08.2011

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

(इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक)

1. इसकी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। लेकिन अचल परिसंपत्तियों की पहचान संख्या डालने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामलों को छोड़कर इन परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है, हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं हमारी राय में आकार को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

2. इसकी वस्तुसूचियों के संबंध में :

(क) ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री को छोड़ कर वस्तु सूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में वस्तु सूची की वास्तविक जांच प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गयी वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तु सूची का उचित रिकार्ड रखा है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने न कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण लिया और न ही दिया है। तद्नुसार आदेश के पैराग्राफ–4 का खंड–(iii) लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वस्तु सूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार के प्रकृति के अनुरूप काफी हैं। लेखापरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला और न ही ऐसी कोई सूचना मिली कि अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में लगातार असफल रही हो।

5. हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गयी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर हमारे अधिकतम ज्ञान और विश्वास तथा दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–301 में संदर्भित ठेके या व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थीं जिन्हें इस धारा के तहत अपेक्षित रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी हो। वर्ष के दौरान ₹ 5,00,000 से अधिक के लेन–देन के औचित्य का प्रश्न नहीं उठता।

6. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–58–ए, 58–एए तथा अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

7. कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें कंपनी की विभिन्न इकाइयों की समय–समय पर लेखापरीक्षा करने के लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया जाता है। हमारी राय में आतंरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र और व्यापकता इसके व्यवसाय के काम और प्रकृति के अनुरूप होती है।

8. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा – 209 (1) (डी) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। लेकिन वर्ष 2010–11 के लिए लागत लेखा परीक्षा नहीं की गयी है।

9. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छः महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2011 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित आयकर/ व्यापार कर / प्रवेश कर नहीं किए गए हैं।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (₹ लाख में)	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
1986–87	45.30	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा लगाई गई ब्याज की राशि के लिए मामले को उपायुक्त (अपील), देहरादून द्वारा वापस प्रति प्रेषित कर दिया गया है तथा मूल्यांकन प्राधिकारी ने उसी राशि का पुनः निर्धारण किया है। टीएचडीसी ने ए.ओ. के आदेश के विरूद्ध जे.सी. (अपील) के समक्ष अपनी अपील की है तथा जे.सी. (अपील) ने स्थगनादेश दे दिया है। वित्त वर्ष 10–11 के दौरान पहली अपील टीएचडीसी के पक्ष में निर्णीत हुई और इस आदेश के विरूद्ध राज्य ने अपील संख्या 69–11 द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की है।
1989–90	0.36	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993–94	0.33	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध व्यापार/ वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993–94	0.39	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994–95	0.88	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध व्यापार/ वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994–95	1.10	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1997–98	0.60	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
2000–01 125 महीनों के लिए ब्याज	136.35 340.88	प्रवेश कर	प्रवेश कर का मामला अपर आयुक्त (अपील) देहरादून के पास लंबित है।
2007–08	0.75	व्यापार कर	टीएचडीसी ने 28.02.2011 के मूल्यांकन आदेश में उठाई गई मांग के खिलाफ अपील दायर की है।

10. (क) कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई संचयी हानियां नहीं हुई हैं तथा वित्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अंतर्गत और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नकद हानियां नहीं हुई थीं।

(ख) कंपनी की चल रही परियोजनाओं के मामले में भी, जो निर्माणाधीन हैं, संचयी हानियों का यह खंड लागू नहीं होता।

11. कंपनी ने हमारे द्वारा अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति के आधार पर तथा अभिलेखों के अनुसार किसी वित्तीय संस्था या बैंक की देय राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

12. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, डिबेन्चरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।

13. कंपनी चिट फंड या निधि / म्यूचुअल बेनीफिट फंड / सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड –xiii कंपनी पर लागू नहीं होता।

14. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेन्चरों तथा अन्य निवेश का काम नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड –XIV कंपनी पर लागू नहीं होता।

15. हमें दी गयी सूचना के अनुसार कंपनी ने दूसरे लोगों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे, वर्ष के दौरान उसी के लिए उनका इस्तेमाल किया।

17. हमारी राय में तथा समग्र रूप में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पावधि आधार पर इकट्ठा की गयी निधियों का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया है।

18. वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जा रहे रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को इस कंपनी ने शेयरों का काई अधिमानतः आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया और इसलिए उनके लिए प्रतिभूति या प्रभार सृजन करने का प्रश्न नहीं उठता।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई प्रतिभूति या सार्वजनिक निर्गम जारी नहीं किया। अतः सार्वजनिक निर्गम के द्वारा इकट्ठा की गयी राशि के अंतिम प्रयोग के प्रकटन का प्रश्न नहीं उठता।

21. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी का जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला और न ही प्रबंधन द्वारा इस तरह का मामले की कोई सूचना दी गयी।

कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
भागीदार लेखाकार
रजि. नं. 002871 एन

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार, एफसीए
सदस्यता संख्या – 84072

दिनांक : नई दिल्ली
स्थान : 31.08.2011

गोपनीय

सं. No. RAP/THDC/3RD PHASE/ACCOUNTS/2001-12/675

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा,
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III
NEW DELHI

दिनांक / Dated: 15 / 9 / 2011

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
ऋषिकेश

विषयः 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश, के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश, के वर्ष 2010–11 की समाप्ति हेतु कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन लेखों पर भारत के नियत्रंक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करता हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

(एम.के. बिश्वास)
प्रधान निदेशक

संलग्न : यथोपरि।

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Ph.: 2329227; Fax: 23239211; e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के खातों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उनके पेशेवर निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानदंडों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करने की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की है। सूचना दी गयी है कि ऐसा उनके द्वारा 31 अगस्त, 2011 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया जा चुका है।

मैंने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अधीन 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यों के कागजात के बिना तथा सांविधिक लेखा परीक्षक की प्रारम्भिक जांच की सीमा तक और कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चुनिंदा परीक्षण के आधार पर की गयी। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं आयी है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत टिप्पणी करना या "सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुपूरक" अपेक्षित हो।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से

(एम.के. बिश्वास)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 सितम्बर, 2011

न्यू टिहरी टाउन का विहंगम दृश्य

A panoramic view of New Tehri Town